C1..15S HEIRATER FIRST

of 20 Case No.

35/ 16 Order or Proceeding with Residing Office Office of the State of the St

Parties

pleaders where Necessary

अपितिकाता (सहायान्त्र) अपितिकाता (सहायान्त्र) अपितिकाता हो अपितिका के अप्रमान दण्डनीय अभियोग विरम्ब का 117 हारा शाना पागानी की . क0 38 /16 अत्य गिरा धारा /3 आधिनियमिके आविनियमिके अस्विध में अभियुक्त/अमियुक्तगण अगरहात के. जारहाक / आरहाक प्रधान हारा शाना पागाती की पत्र प्रस्तुत किया गया। जगुनिशासक्। प्रधान का /// पत्र/परिवाद

10 PS 10 BAC 1 हारा ए०डी०फी अगे० र्थाउन

प्रतीत

गेमोर्णडम / वकालतनामा ETR! किया।

भीतर प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के

धारा का आदेश किया जाता है। अपरोक्तानुसार दुष्ट्या अभियोग प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभिये अभियुक्त /अभियुक्तगण के विकड भाठदंठसंठ/ आधार प्रकट हो रहे हैं। अन अभियुक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध ध

1. 1 600 29 5/16 H ZE SEE SECTION प्रकरणः का गंजीयन

अभियुक्त / अभियुक्तागर, २०४०२० क ग्रांस २०१ के अधीन प्रावधाना। प्रकाश में अभियोग पत्र एत अस्तित हैं महासे के महास्ति

- 100 - 1111 - 1116 - 1000 - 1

कर विदित उपरात विके िकया A PRINCE OF THE नष्ट कर न्यायालय के उसके स्वामी राजसात साधारण अधिदण्ड के संदाय में व्यक्तिकम Solfied of Strength (Mark) निरस्त विशिष्टिया विरिचित कर आफ्रे ति जाने पर अभियुक्त ने अ अतः अभिगक् यथा संगत र पावती याः प्रथम् स्य अपराध A.K. Septud 每 जनसुदा संपत्ति. १८८५ मृत्यहीन होने से व्ययनित की जाये। रांपिता न्मान्ना निर्देश को लोटाया जाये। सुपुर्दाती की दशा में सुपुर्दानामा निर्देश जाते। सुपुर्दाती की दशा में सुपुर्दानामा निर्देश जातेशों का पालन हो।
प्रकरण का परिणान आपराधिक पजी में पंजीबद्ध के अपिलेखानार प्रेपिलेख संचयन हेवु आवश्यक प्रतिपूर्ति प्रतिपृति इर अल्लास्य जित्त होते से " Pressuring अभियुक्त को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम करवामित कर द्योगित अभियुक्त को डक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए को अविधि के दुग्छ एकी हिन्दाय को अविधि के दुग्छ एकी हिन्दाय के अधीन दोषसिद्ध करते हिन्दाय को अविधि के दुग्छ एकी हिन्दाय के अधिदृष्ट के संदाय की दशा में अभियुक्त को आभियुक्त को अभियुक्त को प्रदाय कि प्रदाय को प्रदान के निर्णय की निर्धिय की निर्धिक प्रति अभियुक्त को प्रदान क अथिदण्ड दोषिद्ध करते स्वेच्छया धारा / 3 क्यां में अपराध की वि को पहकर सुनाये और समझाये । करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अति शब्दों में लेखबद्द कियां गया। कि कि कि कि कि अभियुक्त अभियुक्त अभियुक्त मण् कि कि कि हिंदी अभियुक्त अदा अभियुक्त अभियुक्त मण को सजा भुगत F-77 317-17 गागला साक्षित विचारणी नया। अभियुक्त mount of proceeding with प्रकरण उद्यासम